

15/25

पत्रां पेश हुं। मूल वाद अदम पैरी अदम हाजरी
में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रां पत्र
का कोई औचित्य नहीं है। प्रां का इसी स्तर
पर खारिज किया जाना है। पत्रां फंसल
सुमार होकर दारिपल हफतर हो।

